कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–1/ नियुक्ति–अंग्रेजी/ पीएससी–15/2017 दिनांक 11.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 11.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये दिनांक 11.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों (रमेश कुमार व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,.जोधपुर में याचिका संख्या 11742/2019 रमेश कुमार गौतम व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11742/2019 रमेश कुमार गौतम व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 में याचिका को एस.बी.सी या.स 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे निर्णय दिनांक 21.11.2017 व एस.बी.सी. या.स. 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनामं राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.04..2018 से संबंध कर निस्तारित किया गया है। एस.बी.सी. या.स. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 21.11.2017 मे आदेशित किया है "In the result this writ petition is allowed and the respondents are directed to treat the petitioners senior to respondents no.4 to 8 as per their placement in the merit list .

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में याचिकार्थीगण रमेश कुमार व अन्य मे निम्नांकित अभ्यर्थी रमेश कुमार व अन्य, प्राध्यापक अंग्रेजी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 11.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. स.	नाम	जन्म दिनांक	मेरिट न0	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1	Ramesh kumar	12.08.1987	593	20.07.2018	26.07.2018
2.	Murli Dhar	08.07.1988	466	20.07.2018	30.07.2018
3.	Nitesh Poonia	04.01.1990	560	20.07.2018	30.07.2018
4.	Mukendar Deen	10.07.1988	600	20.07.2018	28.07.2018
5.	Sandeep Kumar	27.10.1980	385	20.07.2018	24.07.2018
6.	Natwar Lal	01.01.1984	427	20.07.2018	27.07.2018
7.	Dinesh kumar	06.02.1983	729	20.07.2018	23.07.2018
8.	Mahendra Godara	16.08.1988	567	20.07.2018	27.07.2018
9.	Daula Ram	09.03.1987	540	20.07.2018	23.07.2018
10.	Satya Prakash Sankhala	11.07.1987	721	20.07.2018	26.07.2018
11.	Lalit Kumar	08.06.1983	523	20.07.2018	23.07.2018
12.	Pooja Khandelwal	08.06.1984	441	20.07.2018	27.07.2018
13.	Bhushan Bhatt	16.09.1980	256	20.07.2018	30.07.2018
14.	Sunil kumar	12.07.1988	725	20.07.2018	25.07.2018
15.	Prakash Chand Rundla	01.06.1988	524	20.07.2018	23.07.2018
16.	Bharat Bhushan	01.08.1977	554	20.07.2018	28.07.2018

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

17.	Bharat Singh Kavia	07.07.1993	610	20.07.2018	26.07.2018
18.	Jasdeep Singh	02.07.1982	541	20.07.2018	24.07.2018
19.	Mahendra Pratap Singh Rathore	10.08.1983	389	20.07.2018	02.08.2018
20.	Deepak Saini	20.08.1989	573	20.07.2018	30.07.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक अंग्रेजी विषय के प्रथम नियु..क्ति आदेश दिनांक 11.06.2017 में कार्मिक दिनेश कुमार मीणा मेरिट क्रमांक 779 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी दिनेश कुमार मीणा द्वारा राउमावि. हेमरा झालावाड में दिनांक 18.06.2017 मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 11742/2019 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम 8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी दिनेश कुमार मीणा(मेरिट क्रमांक 779) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 11.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में दिनेश कुमार मीणा द्वारा दिनांक 18.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यिर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

दिनेश कुमार मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक दिनेश कुमार मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी रमेश कुमार व अन्य भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें, लेकिन व केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निरतारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(गौरव अग्रवाल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

कमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी/नोशनल/रमेश कुमार /या.स.–11742/2019 दिनांक– 20/1/23.

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

: : कार्यालय आदेश : :

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः–शिविरा/माध्य/ संस्था/सी–1/ नियुक्ति– संस्कृत/पीएससी–15/2018 दिनांक 28.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 28.06.2018 के पश्चात् जारी किये गये दिनांक 28.06.2018 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशो से संबधित अभ्यर्थियो (हरिश कुमार गौतम व अन्य) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,.जोधपुर मे याचिका संख्या 2042/2019 हरिश कुमार गौतम व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता मे स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिको के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2042/2019 हरिश कुमार गौतम व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2019 में याचिका को एस.बी.सी या.स 3082/2018 सूरजा राम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 09.02.2018 से संबंध कर निरस्तारित किया गया है। एस.बी.सी. या.स 3082/2018 सूरजा राम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 09.02.2018 मे आदेशित किया है "In the result this writ petition is allowed and the respondents are directed to treat the petitioners senior to respondents no.4 to 8 as per their placement in the merit list .

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम मे याचिकार्थीगण हरिश कुमार व अन्य मे निम्नांकित अभ्यर्थी हरिश कुमार व अन्य, प्राध्यापक संस्कृत द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमे मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2018 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

Rajasthan Education Department

क्र. सं.	नाम	जन्म दिनाक	मेरिट न0	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनाक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनाक
1	Harish kumar gaoutam	08.08.1988	115	24-08-2018	07-09-2018
2	Shankar lal sharma	15.05.1991	102	24-08-2018	29-08-18
3	Asha kumari	09.06.1993	324	24-08-2018	29-08-2018
4	Shrinarayan Sharma	08.09.1989	94	24-08-2018	30-08-2018
5	Jitendra kumar Meena	24.08.1988	302	24-08-2018	27-08-2018
6	Mahendra Kumar Morya	03.07.1992	270	24-08-2018	04-09-2018
7	Ishwar lal Regar	10.09.1983	271	24-08-2018	29-08-2018
8	Mukesh Kumar Yogi	10.06.1986	219	24-08-2018	28-08-2018
9	Lalit kumar	06.08.1985	185	24-08-2018	30-08-2018
10	Ganpat Lal Vishnoi	22.08.1984	210	24-08-2018	04-09-2018
11	Gaurav Kumar Bairwa	30.03.1993	263	24-08-2018	29-08-2018
12	Kalpna Gautam	26.09.1986	132	24-08-2018	28-08-2018
13	Kanchan Damor	08.07.1982	354	24-08-2018	27-08-2018
14	Radhika Parashar	23.09.1990	109	24-08-2018	31-08-2018
15	Samvit Maharshi	08.08.1984	108	24-08-2018	31-08-2018
16	Daya Ram Meena	06.04.1989	298	24-08-2018	05-09-2018
17	Bhupendra Kumar	06.09.1984	285	24-08-2018	30-08-2018
18	Neetu Kumari	01.07.1991	317	24-08-2018	01-09-2018

19	Mahesh Kumar	01.07.1988	214	24-08-2018	31-08-2018
20	Yokesh Thakor	26.10.1987	138	24-08-2018	25-08-2018
21	Om Prakash Dhaka	20.07.1989	222	24-08-2018	28-08-2018
22	Anita Inani	28.07.1979	165	24-08-2018	28-08-2018
23	Dinesh kumar Sharma	01.10.1990	116	24-08-2018	30-08-2018
24	MoolChand Mahawar	03.06.1991	282	24-08-2018	30-08-2018
25	Bhuvnesh Sharma	06.04.1991	135	24-08-2018	29-09-2018
26	Ashok kumar	14.03.1993	287	24-08-2018	31-08-2018
27	Madhusudhan Saraswat	23.04.1983	137	24-08-2018	24-09-2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक संस्कृत विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 28.06.2018 में कार्मिक कान्ता बाई मेरिट क्रमांक 356 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कान्ता बाई द्वारा रा.आदर्श उमावि Berru मे दिनांक 01.07.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 2042/2019 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 14.02.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियो के चयन उपरान्त विभिन्न चरणो मे अभ्यर्थियो के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल मे की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी कान्ता बाई(मेरिट क्रमांक 356) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 28.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम मे कान्ता बाई द्वारा दिनांक 1.07.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ट अभ्यिर्थियो को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्वि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

कान्ता बाई द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयताधारित कार्मिक कान्ता बाई द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरियता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी हरिश कुमार गौतम व अन्य को वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगें, लेकिन वे केवल नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी सबंधित पक्षकार सूचित होवे।

(गौरव अग्रवाल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–1/संस्कृत/नोशनल/हरिश कुमार गौतम /या.स.–2042/2019 दिनांक– 20/01/23

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते